हुक्म की तामील में जारी हुए		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा कैलाश महाजन बनाम मूलचन्द जैन किस्म - प्रा० पत्र क्र. 21/13	
	1-5-18	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। आदेशिका दिनांक 27-9.16 की पालना में तलबाना प्रस्तुत नहीं। अनेक मर्तबा अवसर दिए जाने के उपरान्त प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं। अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है पत्रावली वास्ते तलबाना दिनांक 15-5-18 को पेश हो।	
	1/6/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान मु. डाबला पेश हुई। आदेशिका दिनांक 27/9/16 की पालना में तलबाना प्रस्तुत नहीं। अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबाना दि 17-7-18 को पेश हो।	
	17/7/18	पत्रावली पेश हुई। मूल प्रकरण के साथ दिनांक 21-8-18 को पेश हो।	
		21.08.2018 पत्रावली पैश हुई। प्रार्थीगण अंधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता ने प्रस्तुतशुदा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट पर एकपक्षीय बहस के तौर पर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 657 के आराजी सख्यां 2353, 2355 कुल किता 02 कुल रकबा 04–11 बीघा भूमि मोतीलाल पिता ओनाडमल महाजन यानि वादीगण के दादा के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। एंव मोतीलाल के एक ही पुत्र लालचन्द हुआ है। मोतीलाल की मृत्युपरान्त इन्तकाल लालचन्द के नाम पर खोला जाना चाहिए था, किन्तु प्रार्थीगण के साथ साथ अप्रार्थीगण का नाम भी इन्तकाल में दर्ज कर दिया गया एंव गलत सजरा	

प्रमाणिकरण के कारण उक्त त्रूटि हुई है। विपक्षीगण के पिता नाम धर्मीचन्द पिता माणकचन्द है, जबकि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के पिता का नाम मोतीलाल गलत दर्ज राजस्व रेकार्ड हुआ है। चूंकि प्रार्थीगण की पैत्रक आराजीयात में विपक्षीगण का कोई कानूनन हक अधिकार नही बनता, केवल मात्र विपक्षीगण के नाम पर विवादित आराजीयात का राजस्व अभिलेखो में त्रूटीपूर्ण अभिलेखन हुआ। जबकि केवल मात्र प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर समान रूप से हक हिस्से अनुसार में प्रथम श्रेणी की वारिसान होकर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में त्रूटीपूर्ण इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण की पैत्रक विवादित आराजीयात को विपक्षीगण बैचान कर हस्तान्तरित करने एंव प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 657 के आराजी सख्यां 2353, 2355 कुल किता 02 कुल रकबा 04–11 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 06.06.2013 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।